न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 57/2019
GCMS Case No. 2019/00199

सायल–	बनाम	गैरसायल–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी, पाली।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक – 30.04.2025

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 18.10.2019 को गैरसायल भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(6)(7) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सदर पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2016 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 1 प्रकरण में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, चार प्रकरण में जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट नम्बर/दिनांक	नाम न्यायालय निर्णय
1	158/16.10.2016	354 घ भादस व 11/12 पोक्सो एक्ट	123/10.12.2016	जैर ट्रायल
2	02/02.01.2018	147, 452, 323, 427/149 भादस	29/11.04.2013	जैर ट्रायल
3	158/14.07.2019	458, 354 भादस	112/31.07.2019	जैर ट्रायल
4	167/22.07.2019	4/25 आर्म्स एक्ट	113/31.07.2019	जैर अनुसंधान
5	60/17.07.2019	107, 151 सीआरपीसी	इसंदादी कार्यवाही	10 हजार की जमानत व जमानती मुसलके पर 6 माह के लिए पाबन्द

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली निरन्तर शराब तस्करी प्रवृति में लिप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(6)(7) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सदर पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त समस्त प्रकरण पूर्व के दर्ज है। वर्तमान में वह काम धंधा कर शांति से अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा वह अब आपराधिक कत्यों में लिप्त नहीं है। इसलिये गैरसायल के विरूद्ध बने उपरोक्त प्रकरण को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 60/2019, अन्तर्गत धारा 107,151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करते हुए 10 हजार की जमानत व जमानती मुसलके पर 6 माह के लिए पाबन्द किया गया। इसी प्रकार माननीय न्ययालय में 158/16.10.2016, 02/02.01.2018, 158/14.07.2019 प्रकरण जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

में है। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(6)(7) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(6)(7) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 15.05.2025 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली गैरसायल भीमाराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी भालेलाव पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिाल पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सदर पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली